संख्या-52/2015-1844/चौदह-4-2015-517/2010

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन अनुभाग- 4 लखनऊ दिनांक, 15 दिसम्बर, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष-2015-16 में अनुदान संख्या-60- वन विभाग- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित आयोजनागत योजना- "नेशनल प्लान फॉर कन्जर्वेशन ऑफ एक्वेटिक ईको सिस्टम" के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समसपुर, साण्डी तथा नवाबगंज वेटलैण्ड्स हेतु अनुमोदित कार्यों के लिये अवमुक्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगार्थ आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रमुखवन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-353/36-टी-90, दिनांक 02 सितम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-60- आयोजनागत- केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत "नेशनल प्लान फॉर कन्जर्वेशन ऑफ एक्वेटिक ईको सिस्टम" हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-जे-22012/61/2008-सी0एस0(डब्लू), दिनांक 17.07.2015 द्वारा समसपुर वेटलैण्ड हेतु रू0 37.65 लाख, पत्र संख्या-जे-22012/42/2005-सी0एस0(डब्लू), दिनांक 17.07.2015 द्वारासाण्डी वेटलैण्ड हेतु रू0 37.50 लाख तथा पत्र संख्या-जे-22012/41/2005-सी0एस0(डब्लू), दिनांक 10.07.2015द्वारा नवाबगंज वेटलैण्ड हेतु 35.00 लाख कुल धनराशि रू0 110.15 लाख (केन्द्रांश रू0 55.075 लाख तथा राज्यांश रू0 55.075 लाख) की योजना अनुमोदित करते हुए गत वर्ष की पुनर्वेध धनराशि रू0 7.89 लाख को सम्मिलित कर केन्द्रीय सहायता के रूप में रू0 62.965 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02.09.2015 में किये गयेप्रस्तावानुसार रू0 101.17लाख(रू0 एक करोड़ एक लाख सत्रह हजार मात्र) की स्वीकृति निम्न लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	**धनराशि (रू0 हजार में)**
अनुदान संख्या-60	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव- आयोजनागत-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	

http://shasanadesh.up.nic.in

01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0142-नेशनल प्लान फॉर कन्जर्वेशन ऑफ एक्वेटिक ईको सिस्टम (सी0सी0एल0प्रणाली)	
29-अनुरक्षण-	6710
42-अन्य व्यय-	1522
योग -राजस्व लेखा	**8232**
पूँजीलेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0107-नेशनल प्लान फॉर कन्जर्वेशन ऑफ एक्वेटिक ईको सिस्टम (सी0सी0एल0प्रणाली)-	
25-लघु निर्माण कार्य	**1885**
योग-पूंजी लेखा	**1885**
कुल योग	**10117**

(रू0 एक करोड़ एक लाख सत्रह हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयी मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

3- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

4- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

6- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र दिनांक 02.09.2015 में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक, 30 मार्च, 2015 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-1844(1)/चौदह-4-2015-517/2010तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी,उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in